

प्रपत्र-2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

**जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)**

पत्रांक - SSA/419

दिनांक 28-02-2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

**SADAR ALAM MEMORIAL SECONDARY SCHOOL, BIHAR SHARIF**

विषय- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में दिनांक-21.02.2019 को निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय SADAR ALAM MEMORIAL SECONDARY SCHOOL, BIHAR SHARIF को कक्षा I से V/VIII कक्षा तक संचालन हेतु सत्र 2020-2021 तक के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति अवधि विस्तार की जाती है।


प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न-शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

01. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस कक्षा का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
04. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेंगे।
05. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
06. विद्यालय, किसी बच्चे के नामांकन लेने से उसके उम्र प्रमाण पत्र तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के अधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
  - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उत्तीर्ण करने के संबंध में समय समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदनुसरूप दिये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक वंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iv. प्रारम्भिक परीक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

*Rubelina*  
22/8/23


- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/नि:शक्त/ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की अवधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- vii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालक रूप से छात्रों का नामांकरण करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रसवीकार्य कक्ष विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर, विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजा जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या 20160231/2016 एवं यू-डायस कोड 10270311007 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अनिवार्य रूप से अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. विभाग के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के लागातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. आपके विद्यालय का औपबंधिक अवधि विस्तार करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों की प्रसवीकृति रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।


विश्वासभाजन

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
नालन्दा।

ज्ञापक- SSA/419 / बिहारशरीफ दिनांक 28-02-2019

प्रतिलिपि- श्री वृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, नालन्दा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालन्दा / एम0आई0एस0, प्रभारी, एस0एस0ए0, नालन्दा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला-नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
नालन्दा।

  
Principal

Sadar Alam Memorial Secondary School,  
Kaghzi Mohalla, P.O. Sharif (Nalanda)

# कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

पत्रांक—SSA/1152 /  
दिनांक—28.07/2023

PH-06112-233363, fax-06112-235163  
Email-deonalanda.edn@gmail.com

सदर आलम मेमोरियल सेकन्डरी स्कूल, कागजी महल्ला बिहारशरीफ, नालन्दा एवं अन्य विद्यालयों द्वारा e-sambandhan portal पर वर्ष 2021 में ऑन लाईन किया गया है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जाँच कर पोर्टल पर लोड के क्रम में ??????? आकृति आ गई है। जिसे सही करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निर्गत पत्रांक SSA/1247 दिनांक 19.07.2022 निदेशक, प्रा0शि0 पटना, बिहार से मार्गदर्शन की मांग की गई है, अभी तक अप्राप्त है।

अतः कतिपय तकनीकी कारणों से सदर आलम मेमोरियल सेकन्डरी स्कूल, कागजी महल्ला बिहारशरीफ एवं अन्य कई विद्यालयों को मान्यता पत्र निर्गत नहीं हुआ है।

28/7/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
नालन्दा।

Attested  
Rabla  
Principal  
Sadar Alam Memorial Secondary School,  
Kagzi Mahalla, Bihar Sharif, Nalanda.